REVIEW OF RESEARCH

क्या बदल सकेगी किसानों की किस्मत....?

डॉ. सुभाष जाधव

हिंदी विभाग, संत रामदास महाविद्यालय, घनसावंगी, जिला–जालना

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

प्रस्तावना :

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है "किसान"। देश के आधे से अधिक कारोबार, उद्योग व बड़े व्यापार किस पर टिके हैं...?जाहिर है ये सब किसानों की मेंहनत के दम पर ही टिके हैं। दुनिया के हर मनुष्य के पेट की क्षुधा को कौन शांत करता है...? उत्तर स्पष्ट है "किसान और सिर्फ किसान"। किसान हम सब के लिए कितना कुछ करता है..लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ दुविधाएं ही दुविधाएं आती है... वह सुविधाएं ना मिलने के शाप से ग्रस्त है ।

भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं अब यह जानलेवा क्रिया भयानक बिमारी की तरह अधिकाधिक राज्यों में फैल रही है.. आखिर क्यों..? दुःख की बात यह है कि इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के बजाय इस मुद्दे को टालने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से। किसानों की आत्महत्या के अनेक कारण हैं–(१) बेमौसम बरसात (२) जून से सितम्बर तक कभी अपर्याप्त मात्रा मे वर्षा तो कभी बहुत ज्यादा वर्षा (३) महंगाई के कारण किसानों की लागत में वृद्धि (४) वंशानुगत गरीबी (५) फसलों की कीमतों में गिरावट (६) गैर जिम्मेदार सरकारें (७) कर्ज बाजारी (८) एकदम निचले स्तर पर भरपाई की रकम पर भूमिअधिग्रहण।

इन कारणों को अगर हम और हमारी सरकार दूर करे तो शायद ही कि किसानों की आत्महत्या कम होकर रूक जाए..। लेकिन इससे भी बेहतर वसंतराव नाईक खेती स्वावलंबन मिशन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण समाधान को अगर शासने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो निश्चित ही किसानों की आत्महत्याएं रूक सकती हैं । वैसे हम सब इस बात को जानते हैं कि वसंतराव नाईक को किसानों का महानायक भी कहा है। "किसान दिवस" के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं। इन्होनें हमेशा से ही किसानों के दुख–दर्द को समझा है, महसूस किया है और उनके हित की ही बात सोची है। मिशन द्वारा सरकार को दी गई रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या रोकने के निम्न उपाय बताये हैं–––(१) आपदा प्रबंधन योजनाकृइसके अंतर्गत कई छोटे–छोटे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं–जैसे–खादय और स्वास्थ्य सुरक्षा, बेहतर तरीके से आवंटित किया हुआ कृषि ऋण एवं सभी किसानों को उपलब्ध हो ऐसी ऋण योजना बनाना, सभी किसानों को बिजली, पानी कनेक्शन मिले, किसानों के बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा सरकार पर हो वो भी इमानदारी से, 'मनरेगा' के अंतर्गत किसानों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करना।

(२) कृषि संकट के मूल मुद्दों का समाधान करने के लिए योजनाएँ तैयार करना।

मिशन ने कुछ अन्य सुझाव भी दिए जैसे–सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में समग्र और टिकाऊ कृषि नीति लागू करना, बेहतर बीज और खाद का सही तरीके से इस्तेमाल करके फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाए।

इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि से प्राप्त योगदान बहुत कम हैं, किसानों की दैनिक, मासिक व वार्षिक आय दिन–ब–दिन घट रही है। २०१६–१७ में नाबार्ड सर्वेक्षण अनुसार गाँवों में खेती से होने वाली

आमदनी गांवों की कुल आमदनी का भी मात्र २३: ही रह गयी है। अब गांवों में रहने वाले लोग मजदूरी या नौकरी करके ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। भारतीय किसानों को बहुत ही कम राजस्व मिलता हैं । कम राजस्व मिलने का कारण यह है कि या तो 'किसान अनुत्पादक है या उन्हें अपने उत्पादनों की कम कीमत मिलती है। 'उत्पादकता जहाँ खेती के तकनीकी पहलूओं से सम्बंधित है, वही मूल्य प्राप्ति तथा कृषिअर्थ व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करती है जो बेहतर आर्थिक नीति से सूधार किया जा सकता है।

बीते दशकों में कृषि क्षेत्र में होने वाले निवेश का बड़ा हिस्सा सिंचाई के खाते में गया है, इसके बावजूद इस दौरान शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शायद ही कोई वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण प्रवाह करीब एक दशक में तिगुना से भी अधिक हो चुका है। लेकिन ऋण लेने वालों की संख्या अधिक नहीं बढ़ी है। किसानों का कर्ज जो उनकी जरूरतों का बड़ा हिस्सा अब भी लालची साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्त्रोतों के जरिये ही पूरा होता है। फसलों का न्यूनतम समर्थतम मूल्य (एम.एस.पी.) हर एक साल बड़ी ही उदारता से बढा दिया जाता है। लेकिन फिर भी किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ रही है..? इस जटिल प्रश्न का उत्तर तो आज तक नहीं मिल सका और एक नया मुद्दा और सामने आया है कि कृषि आय और गैर कृषि आय के बीच लगातार फासला बढ़ता ही जा रहा है । माना जाता है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश पर मिलने वाला प्रतिदान तकनीक आधारित अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है । इसके बावजूद भी कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी हिस्सा भी कृषि अनुसन्धान पर खर्च नहीं किया जाता है। कृषि शोध केन्द्रों से विकसित तकनीक का एक अच्छा खासा हिस्सा भी किसानों तक नहीं पहुँच पाता है। सकल पूँजी निर्माण में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों की हिस्सेदारी १९९० के शुरूआती दशक में १८ फीसदी हुआ करती थी लेकिन हाल के वर्षों में यह लुढकते हुए ६ से ८ फिसदी तक आगया है।

सर्वेक्ष से पता चलता है कि पिछले २० वर्षों में औसत २००० से भी अधिक किसान रोजाना खेती करना बंद कर रहे हैं। जनगणना में १९९१ में किसानों की संख्या ११ करोड़ थी वही अब २००१ में यह संख्या घटकर १०.३ करोड़ रह गयी हैं। जबकि २०११ में तो महज ९.५८ करोड़ ही रह गयी हैं। किसानों की पहचान के लिए कृषि से प्राप्त आय को ही इकलौता पैमाना माना गया है। यह एक प्रकार से भयावह संकेत है। सोचना यह है कि आखिर कृषि क्षेत्र के साथ क्या गड़बड़ हुई है..? इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि कृषि विकास के लिए अपनाई गई नीतियाँ और कार्यक्रम ना तो समुचित तरीके से बनाये गए हैं और ना ही उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है। अत्यंत दु:ख की बात तो यह हैं कि ये गलतियां अब भी बदस्तूर जारी हैं।

सवाल यह है कि 'क्या किसानों की किस्मत कोई बदल पायेगा...?' कब तक यूँ ही उनकी दुखती रग पर नमक छिडक कर इन्हें और दुखी किया जाता रहेगा...? इन्हें हमेशा से ही सामाजिक व शैक्षणिक विकास से भी दूर तथा वंचित रखा जाता है...आखिर क्यों..? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने इसी सवाल पर अहम चर्चा की है द्य अकादमी का कहना है कि महज विकास ही नही बल्कि सामाजिक विकास के समावेश वाली सतत बुद्धि को प्राथमिकताएँ एवं कार्यक्रम तय करने और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के वितरण का आधार बनाया जाना चाहिए। अकादमी ने ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच की खायी को बाटने की भी बात कही है ताकि गाँवों से शहरों की ओर होने वाले व्यापक प्रवाह को रोका जा सके।

'कृषि क्षेत्र में नीतियों एवं विकास प्राथमिकताओं के बिच असंतुलन' शीर्षक से जारी नीति पत्र में कृषि क्षेत्र की चिंताओं को खत्म करने के लिए कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। इनमेसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव–असिंचित परिस्थितियों की पूर्णरूप जांच होनी चाहिए, वंचित एवं कृषि के लिहाज से पिछड़ें इलाकों में कृषि प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल बढाने और ढांचे के विकास के लिए हर कार्य को इमानदारी से किया जाये। इन सब नियमों का पालन किया जाए तो कृषि उत्पादकता बढाने के साथ ही कृषि आय भी बढाई जा सकेगी और क्षेत्रीय असमानता भी कम हो पाएगी। कृषि एवं सम्बद्ध गतितिविधियों में ग्रामीण युवाओं की रूचि बहाल करना भी जरूरी है। ऐसा होने से कृषि को वैज्ञानिक कलेवर देन और सतत वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। युवाओं को कृषि तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादकता और कृषि आय बढाई जा सके तथा कृषि लागत में भी कमी ला सके। इसके अलावा व्यापक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम भी बढाने पर जोर दिया जाए। इससे किसानों को अपनी आय पर पड़ने वाले दबावों से निपटने में सहूलियत होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में और भी खतरनाक स्थिति आ सकती है, तब किसानों का और भी असंतोष बढेगा और कृषि की स्थिति बिगडती चली जाएगी।

'कृषि अनुबंध' यह भी किसानों की किस्मत बदलने का एक कारगर उपाय है पर शर्त यह है कि सरकार द्वारा दिए गए ऑफीसर इमानदार हो ताकि वे हर किसान की स्थिति समझकर उन्हें 'अनुबंध कृषि' में संलग्नित करे। अनुबंध कृषि से किसानों की दों मुख्य समस्याओं का हल निकल सकता है। एक तो भारत में लगभग ८०: किसान छोटे या सीमांत किसान हैं। इनके पास एक एकड़ या इससे भी कम कृषि योग्य भूमि है। इस भूमि पर इन्हें फसल उगाने के लिए लागत ज्यादा लगानी पड़ती है और मूल्य कम ही मिल पाता है। और दूसरा यह है कि भारतीय किसान अधिकांशत बारिश पर आधारित होता है। जिससे सिंचाई की समस्या उद्‌भव होती है। आईये हम देखेंगे कि क्या है 'अनुबंध कृषि'...? इस योजना के अंतर्गत कई छोटे–छोटे किसान मिलकर एक बड़े किसान के रूप में काम करते हैं। कई किसानों के खेत मिल जाने पर जोत का आकार बढ़ जाता है। फिर इन किसानों और निजी खरीददार कंपनियों के बिच उत्पादन की प्राप्ति, खरीद और विपणन की शर्तों को पहले से तय किया जाता है। लिहाजा सम्बंधित कम्पनियाँ कृषकों को कृषि लागत, तकनीक सलाह, परिवहन की सुविधा आदि उपलब्ध करवाती हैं। इससे आधारभूत संरचना का विकास हो पाता है और किसान गुणवत्ता वाले उत्पाद एक समय में उत्पादित कर पाते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हैं की किसान चाहे कितना भी छोटा हो वह कभी भी 'भूमिहीन' नहीं कहलायेगा और ना ही कर्ज के बोझ से दबेगा क्योंकि आत्महत्या का मुख्य कारण कर्ज है और कर्ज ना चुका पाने के कारण वह अपनी भूमि दे देता है और भूमिहिन बन जाता है। परिणामस्वरूप इस पर पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक दबावभी आरम्भ होता है नतीजन वह आत्महत्या करता है।

अनुबंध कृषि से वह बारों महीने काम में लगा रहता है। क्योंकि उसे कंपनियों द्वारा नए–नए वैज्ञानिक तरीके प्रयोग करने के लिए मिलते हैं। जिससे वह बंजर व सूखी भूमि को भी हरीभरी कर सकता है। वह अपनी लागत कम करके आय को बढ़ा सकता है। साथ ही अपनी बेरोजगारी व लाचारी को मिटा कर तंग आर्थिक स्थिति से बचता हुआ नए स्वरूप में अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है और 'किसानों की आत्महत्या' देश पर लगे इस कलंकित धब्बें को भी मिटा सकता है।

सन्दर्भ सूची

बी.बी.सी. न्यूज–वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह–८ अप्रैल २०१५
अंतर्जाल से –अमर उजाला समाचार पत्र से

LBP PUBLICATION